न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला –चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी :– **जवाहरलाल जैन** (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं0 12/2021, प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

श्यामलाल पिता श्री धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी।

– प्रार्थी

।। बनाम ।।

1– श्रीमती गीताबाई पत्नी धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
2– राजू पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
3– भगवतीलाल पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
4– गणेशलाल पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
5– प्रेम पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
6– श्रीमती विद्या पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
7– श्रीमती ललिता पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
8– श्रीमती मन्जु पिता धनराज ब्राहमण नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
9– तहसीलदार बडीसादडी
10– उपपंजीयक बडीसादडी

– विपक्षीगण

उपस्थित – विद्वान अधिवक्ता अनिल सोनावा, प्रार्थी की ओ से
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण क्रमांक 1, 4, 5, 7 व 8 की ओर से
अप्रार्थीगण क्रमांक 2, 9 व 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

।। निर्णय ।। दिनांक 22.3.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस न्यायालय में पेश किया है कि राजस्व ग्राम बोहेड़ा में खतोनी संख्या नई 170 की आराजी नं. 1274 रकबा 0.4000 है. लगानी 5.20 रूप्या, आराजी नं. 1292 रकबा 0.5600 है. लगानी 7.28 रूप्या, आ.नं. 1293 रकबा 0.0900 है. गे.मु.चाह, आराजी नं. 1294 रकबा 0.9400 है. लगानी 39.48 रूप्या, आराजी नं. 1295 रकबा 1.0100 है. लगानी 42.42 रूप्या, आ.नं. 1336 रकबा 0.6400 है. लगानी 8.32 रूप्या का कुल किता 6 कुल रकबा 3.6400 है. भूमि का कुल लगान 102.70 रूप्या भूमि राजस्व रिकोर्ड में विपक्षी क्रमांक 1 के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। इन आराजीयात के भू–प्रबंधक एवं सेटलमेन्ट अनुसार साबिक आराजी नं. 766/2, 766/3, 786, 789, 790, 800, 801, 802, 803, 833 कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा है। उक्त आराजी में से खातेदार श्री तुलसीराम जी ने अपने जीवनकाल में ही आरा[illegible] 789 की आराजी को विक्रय कर दी उसके बाद शेष आराजी साबिक नं. 786[illegible]00, [illegible] 802, 803, 833 की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048 में विप[illegible] 1 के ना[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी नं. 1– गीताबाई, 4– गणेशलाल [illegible] प्रेमलता, 7–ललित[illegible] 8– मन्जू की ओर से विजयसिंह राठौड़ ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया और नकल वकील प्रार्थी को

दिलाई गई । वकील प्रार्थी ने काउन्टर क्लेम का जवाब न देकर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है।

1– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अनिल सोनावा ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अंकित तथ्यों को ही अधिवक्ता की बहस मान ली जावे। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस की उत्तर में यह निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। यह भी निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजीयात की प्रकृति साक्ष्य के बाद निश्चित होगी ।

2– प्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार नहीं है। जबकि विपक्षा नं. 1 रिर्कोडेड खातेदार है। तथा वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा भी है। प्रार्थी अपनी वैधानिक पत्नी को छोड़कर गैर समाज की महिला को लेकर 30 वर्ष से अहमदाबाद में रहता है तथा उसका आराजीयात के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं, प्रार्थी वकील में उपर्युक्त तथ्यों पर अपना एतराज दर्ज नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी नं. 1 के पक्ष में है।

3– प्रार्थी उक्त आराजीयात पर ना तो कब्जेकाश्त ना ही रिकोर्डेड है इसलिए उक्त आराजी पर अपूरणीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है।

4– विद्वान अधिवक्ता श्री विजयसिंह राठौड़ ने अपनी बहस में बताया किया कि धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम जिसका के अन्तर्गत स्त्रोत से प्राप्त होनी वाली सम्पति उसकी स्वयं का स्त्री धन माना जावेगा चाहे व शादी से पहले प्राप्त हुई हो या शादी के बाद प्राप्त हुई है। ऐसी सम्पति उसकी स्व अर्जित मानी जावेगी जिसमें किसी अन्य रिश्तेदार या सदस्य का कोई टाईटल या अधिकार नहीं होगा । स्त्री की सम्पत्ति उसकी एब्सोल्यूट प्रोपर्टी मानी जावेगी। स्त्री के जीवित होने की दशा में उसके पुत्री/पुत्री विरासतन हिस्सेदारी/हक अधिकारी की घोषणा नहीं करा सकते है। इस पर वकील प्रार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की ।

5– वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पत्ति नहीं है। तथा अप्रार्थीया श्रीमती गीताबाई को अपने पिता तुलसीराम जी से प्राप्त हुई है। प्रार्थी गीता बाई का पुत्र है। गीता बाई अभी जीवित है। प्रार्थी के पिता का नाम धनराज है। आराजीयात धनराज के पूर्खो से विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीया गीताबाई पुत्री तुलसीराम (धनराज) का स्त्री धन है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उक्त आराजीयात श्रीमती गीताबाई की एकल स्वामित्व व आधिपत्य की संपति है जिसमें प्रार्थी श्यामलाल तथा अप्रार्थीगण 2 से लगायत 8 का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस पर वकील प्रार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की ।

6– अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीया का खातेदार व कब्जा प्राप्त होकर प्रार्थीया काबिज है। इसके विपरीत अप्रार्थी का आराजी के किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जाने की स्थिति में अप्रार्थीया गीताबाई को भारी असुविधा होकर गीताबाई को अपूरणीय हानि होगी । विद्वान अधिवक्ता श्री विजयसिंह राठौड़ के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

म प्र

विपक्षी महिला वृद्ध है। यही नहीं, विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ।

7— वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पत्ति हो । प्रार्थी यह प्रमाणित करने में भी प्रथम दृष्टया असफल रहा है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अधिकार प्राप्त होता हो। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। उक्त परिस्थियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया गीताबाई का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है एवं प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाने उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी अप्रार्थीया गीताबाई के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे व न करावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। अप्रार्थीया गीताबाई का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी श्यामलाल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा अप्रार्थीया को शांतिपूर्वक यथावत उपयोग व उपभोग करने देवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.04.01 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested